प्रपत्र सं. 1 का पृष्ठ सं. 1

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

बुक नं0

1. जिला जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0 नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2024
प्र0इ0रि0सं0.....220......./2024 दिनांक 1/10/2024
(I) धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018)
(II) अधिनियम...धाराऐं ....
(III) अधिनियम...धाराऐं...................................
(IV) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं...
2. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या........404......................समय....4:30 PM
(ब) अपराध घटने का दिन.........................दिनांक.........................समय.......
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक.................................समय.......
3. सूचना की किस्म :— लिखित / मौखिक लिखित
4. घटनास्थल :—
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी करीब
(ब) पता — ....
....बीट संख्या.............................जरायमदेही सं.
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो.........
पुलिस थाना...जिला...............................
5. परिवादी / सूचनाकर्ता :—सूत्र सूचना
(अ) नाम —
(ब) पिता / पति का नाम
(स) जन्म तिथि / वर्ष...
(द) राष्ट्रीयता...
(य) पासपोर्ट संख्या..................................... जारी होने की तिथि..........
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय..
(ल) पता —
6. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :—
1. श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर।
2.श्रीमती साधना विजय पत्नि श्री राजेन्द्र विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर।
7. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :— कोई विलम्ब नही
8. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियाँ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य
10. 'पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)..
11. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाऐं) :—

महोदय,

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय (मोबाईल नं0 [redacted], PAN NUMBER -AAJPV9428N AADHAR NUMBER - 424877839256) पुत्र श्री रामकरण विजय निवासी मकान 79, सदू हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर का रहने वाले है। संदिग्ध अधिकारी का विवाह श्रीमती साधना विजयवर्गीय (PAN NUMBER - AAPPV6875K) के साथ हुआ है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा स्वयं, अपनी पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम से परिसम्पतियों का कय—विकय किया जाना विश्वस्त सूत्रों से

ज्ञात हुआ है। संदिग्ध अधिकारी के दो पुत्र संस्कार विजय व श्रेष्ठ विजय है, संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्रों को जयपुर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों से शिक्षा दिलवाया जाना ज्ञात हुआ है। गोपनीय सत्यापन से संदिग्ध अधिकारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य एवं आम शोहरत आम जनता के बीच में भ्रष्ट अधिकारी के रूप में होना सूत्रों से ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 24.04.1991 में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हुई तथा वर्ष 2021 में पदोन्नति प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नत होकर जिला कलेक्टर बारां पदस्थापित तत्पश्चात दिनांक 07.08.2023 से जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा ,कार्यकारी निदेशक, राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड (RUDSICO),वं परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना (RUIDP) जयपुर तथा वर्तमान में संभागीय आयुक्त कोटा के पद पर कार्यरत है। इससे पूर्व संदिग्ध अधिकारी का पदस्थापन प्रोजेक्ट डायरेक्टर कम जोइन्ट सेकेटरी, ई0जी0एस0 राजस्थान सचिवालय, जयपुर एवं जोइन्ट सेकेटरी पर्यटन विभाग राजस्थान एवं एडिश्नल कमिश्नर, जे0डी0ए0 जयपुर, में रहा है तथा संदिग्ध अधिकारी ने अपने सेवाकाल में विभिन्न क्षेत्रों की महत्वपूर्ण लोकेशन्स की परिसम्पत्तियों में निवेश किया जाना सूत्रों से ज्ञात हुआ है, जिनमें प्रमुख रूप से जयपुर शहर मे कई आवासीय प्लॉटस (टोंक रोड, जगतपुरा, सांगानेर, मानसरोवर व अन्य), रीको व्यावसायिक भूखण्ड (उपखण्ड किशनगढ जिला अजमेर एवं ग्राम हरसूलिया तहसील फागी जिला जयपुर) आदि हैं।

संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम से ग्राम रेटा दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा संख्या 1066/1064 रकबा 1.2380 , खसरा संख्या 210 रकबा 0.0100 गैर मुमकिन बोरिंग, खसरा संख्या 1063/211 रकबा 0.0640 गैर मुमकिन रास्ता सम्बन्धी नामान्तरण स्वीकृत होना जानकारी से सामने आया है जो पैतृक भुमि है एवं उक्त सिंचित जमीन श्री रामकरण ने अपनी पुत्रवधू श्रीमती साधना विजय को उपहार के रूप में देना ज्ञात हुआ है। जिस पर एस0ओ0 द्वारा बिजली कनेक्शन, बोरिंग (टयूबवेल), सिंचाई हेतु पाईप लाईन, सीमेन्ट पोल, तार की जाली पर अनुमानित खर्च 4,50,000/—रूपये व्यय किया जाना ज्ञात हुआ है।

इसके अतिरिक्त संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपनी पत्नी के बैंक खातों से पैसों का लेन—देन करना सूत्रों से ज्ञात हुआ है साथ ही संदिग्ध अधिकारी की पत्नी के स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक, एचडीएफसी बैंक के बचत खातों एवं सेन्टल बैंक ऑफ इण्डिया, के बचत खाता में भी व्यवसायिक फर्म साधना इण्डिया इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा लाखों रूपये ट्रांसफर किये जाना ज्ञात हुआ है।

संदिग्ध अधिकारी एवं उसकी पत्नि द्वारा अर्जित वैध आय, खर्च एवं अर्जित परिसम्पत्तियों का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

संदिग्ध अधिकारी श्री **राजेन्द्र विजय** द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व अर्जित परिसम्पितियों का शून्य होना ज्ञात हुआ है जो परिशिष्ट **"अ"** में संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय संभागीय आयुक्त,कोटा की चैक पिरियड वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियां:—

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	शून्य	शून्य

परिशिष्ट "ब"

संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय संभागीय आयुक्त,कोटा की चैक पिरियड वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक अर्जित परिसम्पत्तियां:—

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1.	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय के नाम भूखण्ड ए–41 व ए–44 कुल क्षेत्रफल 585.27 वर्गमीटर स्कीम रामनगरिया साउथ गांव श्रीकृष्णपुरा तहसील सागांनेर जिला जयपुर मे दिनांक 13.10.2022 को जरिये रजिस्ट्री 65,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप मे 5,72,000 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है, जिस पर कुल 70,72,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**70,72,000/– रूपये**
2.	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम पुराना प्लॉट नं एच 380 (नया प्लॉट नं0 एच 438) कुल क्षेत्रफल 351.16 वर्गमीटर, सिद्वार्थ नगर, जगतपुरा रोड, जयपुर मे दिनांक 09.06.2010 को जरिये रजिस्ट्री 14,40,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप मे 57,600 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ है, दिनांक 08.07.2010 को उक्त प्लॉट की पटटा खर्च राशि के रूप में 45,824 रूपये तथा चारदीवारी की निर्माण लागत 5,00,000 रूपये है उक्त आवासीय भूखण्ड में कुल 20,43,424 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**20,43,424/– रूपये**
3	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम मुख्य राजमार्ग टोंक रोड पर आवासीय मकान (दो मंजिला) नम्बर 79, कुल क्षेत्रफल 333.33 वर्गगज, सदू हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर में अवस्थित है, उक्त आवासीय मकान का प्लॉट श्री लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर द्वारा दिनांक 10.12.1993 को श्री विनोद चौधरी से एस0ओ0 की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम जरिये रसीद संख्या 6118 दिनांक 10.12.1993 को स्थानान्तरित हुआ, उक्त प्लॉट को तत्कालीन डीएलसी रेट 2300 के हिसाब से प्लॉट 6,40,987/– रूपये में कय करना ज्ञात हुआ, तत्पश्चात दिनांक 07.05.2002 को उक्त भूखण्ड की पटटा व लीज राशि के रूप में 36,736/रूपये खर्च हुये तथा उक्त 333.33 वर्गगज के भूखण्ड में दो मंजिला आवासीय मकान में कुल 3000 वर्गफुट में वर्ष 2000 तत्कालीन निर्माण दर 500 रूपये प्रतिवर्गफुट के हिसाब से 15,00,000/–रूपये एलीवेशन व फिनिशिंग कार्य आदि अन्य खर्च के रूप में लगभग 5,00,000/– रूपये ,खर्च किये गये, इस प्रकार उक्त परिसम्पति में कुल 26,77,723/– व्यय करने का अनुमान है।	**26,77,723 /–रूपये**
4	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम औधोगिक भूखण्ड संख्या 23ए,बी कुल क्षेत्रफल 2200 वर्गमीटर रतन इण्डस्ट्रीज एरिया ग्राम हरसूलिया, तहसील फागी जिला जयपुर मे दिनांक 19.01.2021 को जरिये रजिस्ट्री 53,24,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त औधोगिक भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 3,99,430 रूपये व्यय किये गये है, उक्त औद्यागिक भूखण्ड के चारों तरफ पक्की बाउन्ड्री व दो लोहे के बडे गेट लगे हुये है जिस पर 10,00,000 रूपये व्यय करना व उक्त औधोगिक भूखण्ड में किये गये कुल खर्च के रूप में 67,23,430	**67,23,430/– रूपये**

	/–रूपये व्यय करने का अनुमान है	
5	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम आवासीय प्लॉट एच–67, कुल क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर योजना सिद्वार्थ नगर ब्लॉक एच जयपुर मे दिनांक 07.06.2021 को जरिये रजिस्ट्री 32,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त प्लॉट की स्टाम्प ड्यूटी व अन्य खर्च के रूप में 2,40,000 रूपये व्यय किये गये है जिस पर उक्त प्लॉट में कुल 34,40,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**34,40,000/– रूपये**
6	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम औधोगिक भूखण्ड नं0 जी 130 रिको इण्डस्ट्रीज कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गमीटर एरिया खोडा, किशनगढ, अजमेर मे दिनांक 13.12.2021 को को जरिये रजिस्ट्री 44,58,252 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त औधोगिक भूखण्ड की स्टाम्प डयूटी व अन्य खर्च के रूप में 44,900 रूपये तथा कुल 45,03,152 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**45,03,152/– रूपये**
7	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम औधोगिक भूखण्ड नं जी 131 रिको इण्डस्ट्रीज कुल क्षैत्रफल 1500 वर्गमीटर एरिया खोडा, किशनगढ, अजमेर मे दिनांक 27.04.2022 को जरिये रजिस्ट्री 54,07,338 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है व उक्त औधोगिक भूखण्ड की स्टाम्प ड्यूटी व अन्य खर्च के रूप में 1,42,243 रूपये है तथा कुल 55,49, 581 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**55,49,581/– रूपये**
8	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम प्लॉट नं0 80, कुल क्षैत्रफल 291.60 वर्गमीटर लक्ष्मीनगर, चौधरी चरणसिंह पार्क के पास कमानी फार्म हाउस के सामने टोक रोड जयपुर में सास शांति देवी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जरिये उपहार (गिफ्ट डीड) देना ज्ञात हुआ है इस भूखण्ड को दिनांक 23.12.2009 को जरिये रजिस्ट्री 30,60,000/रूपये में खरीद किया व रकम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के जरिये चैक नम्बर 248548 दिनांक 06. 11.2009 के 25,0000/रूपये व चैक नम्बर 248550 दिनांक 22.12.2009 के 5,60,000/रूपये विक्रेता श्री सुरेन्द्र अग्रवाल को भुगतान किया जाना ज्ञात हुआ है। जिस पर उक्त प्लॉट में एस0ओ0 द्वारा बाउण्ड्री निर्माण लागत 2,50,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त प्लाट के खरीद के समय सन 2009 में संदिग्ध अधिकारी के माता श्रीमती शांति देवी के खाते में विभिन्न माध्यमों से 60 लाख रूपये एकत्र किये गये थे, जो यह दर्शाता है कि उक्त प्लाट संदिग्ध अधिकारी द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित धनराशि से ही खरीदा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्लाटो की गिफ्ट डीड के समय गिफ्टकर्ता श्रीमती शांति देवी के अन्य पुत्र/पुत्रियों से हकत्याग भी नही करवाया गया है, जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त प्लाट संदिग्ध अधिकारी द्वारा ही अपनी माताजी के नाम से 2009 में खरीद किया जाकर 2022 में गिफ्ट डीड द्वारा अर्जित किया गया है। अतः इस प्लाट की खरीद राशि कों संदिग्ध अधिकारी की परिसम्पति माना उचित प्रतीत होता है।	**33,10,000/ रूपये**

9	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम प्लॉट नं0 81, कुल क्षैत्रफल 240.48 वर्गमीटर लक्ष्मीनगर चौधरी चरणसिंह पार्क के पास कमानी फार्म हाउस के सामने टोक रोड जयपुर में सास शांति देवी द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जरिये उपहार (गिफ्ट डीड) देना ज्ञात हुआ है इस भूखण्ड को दिनांक 23.12.2009 को जरिये रजिस्ट्री 25,25,000/रूपये में खरीद किया है व रकम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के जरिये चैक नम्बर 248551 दिनांक 23.12.2009 को 5,00,000/रूपये व चैक नम्बर 248553 दिनांक 13.01.2010 को 20,25,000/रूपये विक्रेता श्री सुरेन्द्र अग्रवाल को भुगतान किया जाना ज्ञात हुआ है। जिस पर उक्त प्लॉट में एस0ओ0 द्वारा बाउण्ड्री निर्माण लागत 2,50,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है। उक्त प्लाट के खरीद के समय सन 2009 में संदिग्ध अधिकारी के माता श्रीमती शांति देवी के खाते में विभिन्न माध्यमों से 60 लाख रूपये एकत्र किये गये थे, जो यह दर्शाता है कि उक्त प्लाट संदिग्ध अधिकारी द्वारा भ्रष्ट साधनों से अर्जित धनराशि से ही खरीदा गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्लाटो की गिफ्ट डीड के समय गिफ्टकर्ता श्रीमती शांति देवी के अन्य पुत्र/पुत्रियों से हकत्याग भी नही करवाया गया है, जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त प्लाट संदिग्ध अधिकारी द्वारा ही अपनी माताजी के नाम से 2009 में खरीद किया जाकर 2022 में गिफ्ट डीड द्वारा अर्जित किया गया है। अतः इस प्लाट की खरीद राशि कों संदिग्ध अधिकारी की परिसम्पति माना उचित प्रतीत होता है।	**27,75,000/ रूपये**
10	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम व्यवसायिक शो रूम नम्बर 07 ग्राउण्ड प्लोवर जीटी गलेरिया ब्लॉक बी, अशोक मार्ग सी स्कीम, जयपुर में दिनांक 07.12.2022 को जरिये रजिस्ट्री 4,50,00,000 रूपये मे खरीदना ज्ञात हुआ है उक्त व्यावसायिक शो रूम की स्टाम्प ड्यूटी व अन्य खर्च के रूप में 33,75,300 रूपये है अतः उक्त व्यावसायिक शोरूम में 4,83,75,300 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**4,83,75,300/— रूपये**
11	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम से ग्राम रेटा दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा में खसरा संख्या 1066/1064 रकबा 1.2380 चाही 2 एवं खसरा संख्या 210 रकबा 0.0100 गैर मुमकिन बोरिंग, खसरा संख्या 1063/211 रकबा 0.0640 गैर मुमकिन रास्ता सम्बन्धी नामान्तरण वर्ष 2021 की जमाबन्दी के अनुसार स्वीकृत होना जानकारी से सामने आया है, जो पैतृक भुमि है एवं उक्त सिंचित जमीन श्री रामकरण ने अपनी पुत्रवधू श्रीमती साधना विजय को उपहार के रूप में देना ज्ञात हुआ है। जिस पर एस0ओ0 द्वारा बिजली कनेक्शन, बोरिंग (टयूबवेल), सिंचाई हेतु पाईप लाईन, सीमेन्ट पोल, तार की जाली पर अनुमानित खर्च 4,50,000/—रूपये व्यय किया जाना ज्ञात हुआ है।	**4,50,000/— रूपये**
12	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम प्लॉट नं 139 कुल क्षैत्रफल 376.25 वर्गमीटर स्कीम ब्रिजपुरी गांव टीलावाला तहसील सांगानेर में ससुर रामकरण विजय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जरिये उपहार (गिफ्ट डीड) देना ज्ञात हुआ है उक्त प्लॉट में	**2,50,000/ रूपये**

	एस0ओ0 द्वारा बाउण्ड्री निर्माण लागत 2,50,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	
13	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम प्लॉट नं 140 कुल क्षेत्रफल 195.86 वर्गमीटर स्कीम ब्रिजपुरी गांव टीलावाला तहसील सांगानेर में ससुर रामकरण विजय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को जरिये उपहार (गिफ्ट डीड) देना ज्ञात हुआ है उक्त प्लाट में एस0ओ0 द्वारा बाउण्ड्री निर्माण लागत 2,50,000 रूपये व्यय करने का अनुमान है।	**2,50,000/ रूपये**
14	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय का एसबीआई बैंक मे खाता संख्या 61274122658 में दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स **1,64,755** रूपये	**1,64,755/– रूपये**
15	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय का एचडीएफसी बैंक मे खाता संख्या 50100573805578 में दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स **20,088** रूपये	**20,088/– रूपये**
16	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय का आईडीबीआई बैंक मे खाता संख्या 013104000035741 में दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स **4,56,756** रूपये	**4,56,756/– रूपये**
17	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के एचडीएफसी बैंक मे खाता संख्या 50100588730310 मे दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स **54,023** रूपये	**54,023/– रूपये**
18	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के आईडीबीआई बैंक मे खाता संख्या 013104000149044 मे दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स **12,44,550** रूपये	**12,44,550/– रूपये**
19	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के एसबीआई बैक मे खाता संख्या 51022141823 मे दिनांक 04. 09.2024 को शेष बैलेन्स **3,17,423** रूपये	**3,17,423/– रूपये**
20	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के पेन नम्बर से साधना इण्डिया इन्टरनेशनल कॉरपोरेशन के नाम से सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया में खाता संख्या 3864600083 मे दिनांक 04.09.2024 को शेष बैलेन्स 3,82,237 रूपये	**3,82,237/– रूपये**
21	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय के नाम से एक अल्टो वाहन संख्या RJ14 CM 0086 के नाम दर्ज है जो कि 08 मार्च 2011 को रजिस्टर्ड होना अंकित है एव उक्त वाहन का खरीद मूल्य परिवहन विभाग के अनुसार 3,20,000 रूपये होना ज्ञात हुआ है।	**3,20,000/– रूपये**
22	**कुल योग**	**9,03,79,442/–**

परिशिष्ट "स"

संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय संभागीय आयुक्त,कोटा की चैक पिरियड वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक प्राप्त आयः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक आयकर कटौती के पश्चात अनुमानित कुल शुद्व वैतनिक आय 2,60,10,880 रूपये होने का अनुमान है।	**2,60,10,880/– रूपये**
2	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजय की वर्ष 2013 से सर्च दिनांक तक आयकर विवरणिका अनुसार कटौती के पश्चात शुद्व कुल आय 1,98,97,602/– रूपये होने का अनुमान है।	**1,98,97,602/– रूपये**

[redacted]

3	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम एक आवासीय प्लॉट नं 131ए व 131 बी योजना नन्द विहार शंकर विहार के पास सवाई गैटोर जगतपुरा जयपुर मे दिनांक 03.02.2021 को उसके ससुर रामकरण विजय द्वारा जरिये उपहार स्वरूप दिया गया जिसकी रजिस्ट्रेशन शुल्क मय स्टाम्प 10,49,32 रूपये है। उक्त आवासीय प्लॉट नं 131ए क्षेत्रफल 150 वर्गगज को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 29.12.2010 को 10,500 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है एवं प्लाट नं 131बी क्षेत्रफल 150 वर्गगज को संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामकरण विजय द्वारा 19.01.2011 को 10,500 रूपये में खरीदना ज्ञात हुआ है, तत्पश्चात संदिग्ध अधिकारी के पिता श्री रामकरण विजय द्वारा संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय को दिनांक 03.02.2021 को उक्त दोनो प्लॉट उपहार स्वरूप दिये गये जिस पर संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय द्वारा उक्त आवासीय प्लॉट नं0 131ए के साथ प्लॉट नं0 131बी को संयुक्त रूप से उपहार स्वरूप प्राप्त करने के उपरान्त दिनांक 18.03.2021 को 1,08,00000 रूपये में बेचान कर दिया गया, जो राशि आय में शामिल की गई।	**1,08,00000/– रूपये**
4	संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम व्यवसायिक शो रूम नम्बर 07 ग्राउण्ड फ्लोवर जीटी गलेरिया ब्लॉक बी, अशोक मार्ग सी स्कीम, जयपुर में दिनांक 07.12.2022 को जरिये रजिस्ट्री 4,50,00,000 रूपये मे खरीदने हेतु स्टेडण्र्ड चार्टड बैंक से दिनांक 29.11.2022 को जरिये चैक संख्या 032048 के 3,97,64,000/–रूपये लोन के मार्फत भुगतान किये गये, जो राशि आय में शामिल की गई।	3,97,64,000/–रूपये
5	**कुल योग**	**9,64,72,482/– रूपये**

परिशिष्ट "द"

संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय संभागीय आयुक्त,कोटा की चैक पिरियड वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक किया गया व्ययः–

क्र सं.	परिसम्पत्ति का विवरण	परिसम्पत्ति का मूल्य
1	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पिरियड वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक रसोई एवं असत्यापनिक पर नियमानुसार कुल 85,83,590/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	85,83,590/रूपये
2	संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक अवधि में अपने दोनों पुत्रों को प्रतिष्ठित स्कुलों डी0पी0एस0 जयपुर में स्कुली शिक्षा एवं अपने एक पुत्र को विदेश मे मेडिकल शिक्षा एवं दूसरे पुत्र को यूपीईएस देहरादून से कानूनी शिक्षा दिलवाना ज्ञात हुआ है। जिस पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा शिक्षा हेतु उच्च शिक्षण संस्थानो में 1,20,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है।	1,20,00,000/रूपये
3	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजयवर्गीय द्वारा स्टेण्डर्ड चार्टेड बैक से दिनांक 01.04.2023 को खाता संख्या 54398738 से 3,97,64,000 रूपये का लोन लिया जिस पर कुल ब्याज के रूप में दिनांक 01.09.2024 तक 66,96,232 रूपये देना ज्ञात हुआ।	66,96,232/– **रूपये**
4	संदिग्ध अधिकारी राजेन्द्र विजय द्वारा फर्मो व अन्य व्यक्तियो के उधार के रूप में 58,46,653 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ	42,74,457/– रूपये
5	संदिग्ध अधिकारी की पत्नि श्रीमती साधना विजय द्वारा फर्मो	1,83,94,685/–रूपये

	व अन्य व्यक्तियो के उधार रूप में 1,83,94,685 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ	
6	संदिग्ध अधिकारी राजेन्द्र विजय द्वारा ज्वैलरी इत्यादि खरीद के रूप में 15,72,196 रूपये खर्च करना ज्ञात हुआ।	15,72,196 /— रूपये
7	संदिग्ध अधिकारी द्वारा वाहन संख्या RJ14 CM 0086 के रख रखाव, ईंधन, मेंटनेंस, बिमा ईत्यादी पर चैक पिरियड वर्ष 2011 से लेकर सर्च दिनांक तक (12X40,000=4,80,000) में 4,80,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है	4,80,000/— रूपये
कुल योग		**5,20,01,160/— रूपये**

संदिग्ध अधिकारी श्री **राजेन्द्र विजय** द्वारा अपनी नियुक्ति वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक वेतन एवं भत्ते आदि से आयकर एवं अन्य कटौती के पश्चात शुद्व शेष आय **2,60,10,880**/— रूपये प्राप्त हुई जो परिशिष्ट **"स"** मे दर्शाई गई है एवं इनकी पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय द्वारा अपनी आयकर विवरणिका में वैध आय लगभग **1,98,97,602**/—रूपये जो परिशिष्ट **"स"** मे दर्शाई गई है एवं अन्य आय के रूप में परिसम्पति को विक्रय करने एवं बैंको से प्राप्त लोन से संदिग्ध अधिकारी की कुल अनुमानित वैध आय लगभग **9,03,79,442/— रूपये** शुद्व बचत शेष रहती है।

संदिग्ध अधिकारी को प्राप्त वेतन, भत्तों के अनुसार वैध आय **2,60,10,880**/ रूपये का 1/3 भाग परिवार का अनुमानित रसोई खर्च **85,83,590**/ रूपये व्यय होने का अनुमान है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा चैक पीरियड (वर्ष 1991 से सर्च दिनांक तक) के दौरान लगभग एक चौपहिया वाहन संख्या आरजे 14 सीएम 0086 जो कि संदिग्ध अधिकारी राजेन्द्र विजय के नाम से परिवहन विभाग के डाटा के अनुसार 08 मार्च 2011 को रजिस्टर्ड होना अंकित है एवं उक्त वाहन का मूल्य 3,20,000 रूपये होकर प्रतिवर्ष पेट्रोल,रख—रखा, बीमा, प्रदूषण का कुल खर्च (वर्ष 2011 से सर्च दिनांक तक) प्रतिवर्ष औसतन 40,000 रूपये अनुमानित होकर कुल 4,80,000 रूपये खर्च के रूप मे व्यय किये है इसी प्रकार संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने पुत्रो को प्रतिष्ठित स्कुलों डी0पी0एस0 जयपुर आदि में शिक्षा दिलवाना ज्ञात हुआ है, जिस पर संदिग्ध अधिकारी द्वारा शिक्षा हेतु उच्च शिक्षण संस्थानो में 1,20,00,000/रूपये व्यय करने का अनुमान है। इस प्रकार कुल व्यय राशि **5,20,01,160/रूपये** होने का अनुमान हैं, जो परिशिष्ट **"द"** मे दर्शाई गई है।

राजस्व, पंजीयन, विद्युत वितरण निगम, बैंक बेलेंस, एफडी एवं भवन निर्माण से संदिग्ध अधिकारी द्वारा अपने सेवाकाल में अर्जित चल—अचल परिसम्पत्तियों पर लगभग 9,03,79,442/— रूपये निवेश एवं व्यय किया जाना पाया गया है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा सेवाकाल में अपने व अपने परिजनों के नाम अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का विवरण **परिशिष्ट "ब"** के रूप में संलग्न है। संदिग्ध अधिकारी द्वारा रसोई खर्च, पुत्रो की शिक्षा व वाहनो के डीजल/पेट्रोल/इन्श्योरेन्स/रख रखाव आदि पर खर्चा **5,20,01,160**/— रूपये निवेश/व्यय किया जाना पाया गया है। इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी की कुल परिसम्पतियां एवं व्यय 9,03,79,442+ **5,20,01,160= 14,23,80,602/—** रूपये होना पाया गया हैं।

क. चैक पिरियड से पूर्व खरीदी गई/अर्जित की गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्यः— शून्य
ख. चैक पिरियड के अंत में मौजूद परिसम्पतियों का कुल मूल्य (प्रपत्र 'ब' का योग)— 9,03,79,442/— रूपये

ग. चैक पिरियड के दौरान खरीदी गई परिसम्पत्तियों का कुल मूल्य (ख–क)–9,03,79,442/– रूपये

घ. चैक पिरियड के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि (प्रपत्र 'स' का योग) –9,64,72,482 रूपये

ड. चैक पिरियड के दौरान किये गये कुल खर्च की राशि (प्रपत्र 'द' का योग)– **5,20,01,160** रूपये

च. चैक पिरियड के दौरान अर्जित कुल परिसम्पत्तियां (ग+ड)– 9,03,79,442+ **5,20,01,160**=14,23,80,602/–रूपये

छ. आय से अधिक सम्पति की राशि (च–घ)– 14,23,80,602–9,64,72,482 = 4,59,08,120/–रूपये

ज. आय से अधिक सम्पति का प्रतिशत (छ/घX100)–4,64,09,329/9,64,72,482 X100=47.58 प्रतिशत

इस प्रकार संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय एवं इनकी पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय के नाम से अर्जित की गई परिसम्पत्तियों पर व्यय एवं पुत्रो की शिक्षा एवं वाहनों के रख रखाव पर खर्च में से दोनो पति पत्नी द्वारा अर्जित वैध आय को घटाने पर **कुल** 14,23,80,602–9,64,72,482= 4,59,08,120**/रूपये** (चार **करोड उनसठ लाख आठ हजार एक सौ बीस रूपये**) की परिसःम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित किया जाना गोपनीय सत्यापन से पाया गया है जो वैध आय से लगभग **47.58 %** प्रतिशत अधिक है।

अतः संदिग्ध अधिकारी श्री राजेन्द्र विजय एवं इनकी पत्नी श्रीमती साधना विजयवर्गीय के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988 एवं धारा 12,13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित) 2018 एवं धारा 120बी भा.द.सं. के तहत अपराध घटित होना पाया जाता है। संदिग्धों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके निम्न ठिकानों **(1.)** जयपुर स्थित मकान नम्बर 79, सदु हाउस, लक्ष्मीनगर टोंक रोड जयपुर (2) कार्यालय कक्ष, संभागीय आयुक्त कोटा (3) कमरा नं वीआईपी–01 सर्किट हाउस, कोटा (4) रामकरण विजय/राजेन्द्र विजय का आवासीय पैतृक मकान ग्राम दुब्बी तहसील सिकराय जिला दौसा की तलाशी लेना आवश्यक है। तलाशी के दौरान कई मूल्यवान परिसम्पत्तियों के दस्तावेज, अवैध/संदिग्ध लेनदेन के दस्तावेज(बैंक/नकद), भारी मात्रा में नकदी, एफ.डी.आर, बैंक लॉकर्स, एन.एस.सी स्वर्ण आभूषण एवं अन्य मूल्यवान परिसम्पत्तियां मिलने की सूत्र ने विश्वस्त सूचना दी है।

अतः संदिग्ध अधिकारी 1.श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर 2.श्रीमती साधना विजय पत्नि श्री राजेन्द्र विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर **के विरूद्ध वैध आय के ज्ञात स्त्रोतों से अधिक परिसम्पत्तियां अर्जित करने एवं अर्जित करने में सहयोग करने के तथ्य प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है। अतएव आरोपीगणों के उक्त कृत्य से अपराध अन्तर्गत** धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) का घटित होना पाया जाता है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

पुलिस निरीक्षक
भ्रनिब्यूरो, (इन्टें) जयपुर।

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, इन्टे. जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) पी.सी.एक्ट 1988, धारा 120 बी भादस एवं धारा 12, 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2)पी.सी. एक्ट (संशोधित 2018) में वर्णित अपराध घटित होना पाया जाने से अभियुक्त (1).श्री राजेन्द्र विजय पुत्र श्री रामकरण विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर (2) श्रीमती साधना विजय पत्नि श्री राजेन्द्र विजय निवासी 79, सदु हाउस, लक्ष्मी नगर, टोंक रोड, जयपुर के विरूद्ध अपराध संख्या ..../2024 दिनांक .... उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर श्रीमान महानिदेशक महोदय के निर्देशानुसार अनुसंधान श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयुपर के सुपूर्द किया गया। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर जारी की गई।

1/10/24

(कालूराम रावत)
उपमहानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर

क्रमांक:– 1195-98 दिनांक :– 01-10-2024

<u>प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–</u>

1. माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलात, कम संख्या–1 जयपुर
2. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर
3. श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
4. श्री पुष्पेन्द्र सिह राठौड, अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट–प्रथम, जयपुर।

1/10/24

(कालूराम रावत)
उपमहानिरीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
राज0 जयपुर